

भारतीय विमानन अकादमी



कार्य का नाम: भारतीय विमानन अकादमी, वसंत कुंज, नई दिल्ली में
खानपान सेवाओं का प्रावधान।

निविदा आमंत्रण सूचना

अनुमानित लागत	रु. 5,44,18,093/- (जीएसटी प्रभावी)
निविदा शुल्क	Rs 2950/- नॉन रिफंडेबल
ईएमडी	Rs 10,88,362/-
समय की अनुमति	24 माह
ऑनलाइन बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय	GeM पोर्टल के अनुसार
निविदा शुल्क और ईएमडी की मूल डीडी (निविदा शुल्क और ईएमडी से छूट की मांग करने पर एमएसएमई प्रमाण पत्र), भाविअ के बिना शर्त स्वीकृति पत्र की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी, परिशिष्ट - 2 के अनुसार भौतिक रूप से प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय पर या उससे पहले

भारतीय विमानन अकादमी



भाविअ, वसंत कुंज नई दिल्ली-
110070

कार्य का नाम:- भारतीय विमानन अकादमी, वसंत कुंज, नई दिल्ली में खानपान सेवाओं का प्रावधान।

अनुक्रमणिका

एस नंबर	विवरण	क्र.सं.
1.	आवरण एवं अनुक्रमणिका	१-२
2.	ई-निविदा आमंत्रण सूचना	३-१४
3.	परिशिष्ट	१५-४१
4.	बोलीदाताओं के लिए सामान्य दिशानिर्देश	४२
5.	ऑनलाइन बोली जमा करने के लिए निर्देश	४३-४६
6.	संविदा की सामान्य शर्तें (जीसीसी)	४७-१३८
7.	संविदा की विशेष शर्तें (एससीसी)	१३९-१७७
	कुल	१७७
		पृष्ठ

प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा दस्तावेज़ में केवा; 177 (एक सौ सतहत्तर) पृष्ठ हैं

ई-निविदा आमंत्रण सूचना (2 बीओटी-2 लिफाफा खुली निविदा)

निविदा संदर्भ. सं.: भाविअ/प्रचालन/खानपान/2025/1

- 1 भारतीय विमानन अकादमी, वसंत कुंज, नई दिल्ली में खानपान सेवाओं के प्रावधान के कार्य के लिए पात्र संविदाकारों से कार्यपालक निदेशक, भाविअ, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 की ओर से सहायक महाप्रबंधक-प्रचालन (बोली प्रबंधक) द्वारा ई-टेंडरिंग जीईएम पोर्टल के माध्यम से आइटम दर ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। जिसकी अनुमानित लागत रु. 5,44,18,093/- (पांच करोड़ चौवालीस लाख अठारह हजार तिरानबे मात्र) (जीएसटी सहित) तथा पूर्णता अवधि दो (02) वर्ष है।
 - 1.1 निविदा प्रक्रिया GeM पोर्टल पर ऑनलाइन है। संभावित निविदाकर्ता GeM पोर्टल <https://gem.gov.in> से निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं और उसका अवलोकन कर सकते हैं।
 - 1.2 संभावित निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं को GeM पोर्टल पर पंजीकृत करें, 'लॉगिन आईडी' और 'पासवर्ड' प्राप्त करें और GeM पोर्टल <https://gem.gov.in> पर लॉग इन करने के बाद होम पेज पर उपलब्ध निर्देशों को देखें।
 - 1.3 ए) यदि बोलीदाता के पास कार्य के बोली दस्तावेज से संबंधित कोई प्रश्न है, तो उन्हें स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए GeM पोर्टल पर 'स्पष्टीकरण मांगें' का उपयोग करना चाहिए। इस संबंध में संचार के किसी अन्य माध्यम पर विचार नहीं किया जाएगा।
बी) किसी भी समय विस्तार, शुद्धिपत्र, परिशिष्ट, संशोधन आदि केवल GeM पोर्टल <https://gem.gov.in> पर जारी और अपलोड किए जाएंगे।
 - 1.4 निविदाएं (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) GeM पोर्टल <https://gem.gov.in> के माध्यम से अपलोड की जानी चाहिए। निविदा दस्तावेजों की हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी।
 - 1.5 किसी भी तकनीकी संबंधी प्रश्न के लिए कृपया GeM हेल्पडेस्क पर कॉल करें। हेल्पडेस्क का विवरण नीचे दिया गया है: 09.00 बजे से 22.00 बजे तक (सोमवार-शनिवार) – 1800-419-3436 /1800-102-3436, ई-मेल: - helpdesk-gem@gov.in
 - 1.6 कृपया ध्यान दें कि किसी भी परिस्थिति में बोली प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नों को स्वतंत्र बाह्य मॉनिटरों (आईईएम) को नहीं भेजा जाएगा।

2950/- रुपये (जीएसटी सहित) की निविदा प्रक्रिया शुल्क, गैर-वापसी योग्य, राष्ट्रीयकृत या किसी अनुसूचित बैंक (लेकिन सहकारी या ग्रामीण बैंक से नहीं) से भारतीय विमानन अकादमी (NIAMAR सोसायटी) के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ऑफलाइन भुगतान करना होगा। निविदा प्रक्रिया शुल्क के विरुद्ध मूल/हार्ड कॉपी डिमांड ड्राफ्ट पोस्ट/कूरियर/दस्ती रूप से सहायक महाप्रबंधक(प्रचालन), दूसरी मंजिल, कमरा नंबर 228, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 के पते पर महत्वपूर्ण डेटशीट में निर्दिष्ट तिथि को या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए।

भौतिक रूप से भेजे गए डिमांड ड्राफ्ट/किसी अन्य स्वीकृत दस्तावेज़ का विवरण स्कैन की गई कॉपी में उपलब्ध विवरण और बोली जमा करने के समय दर्ज किए गए डेटा से मेल खाना चाहिए।

जिन निविदाकर्ताओं/बोलीदाताओं की निविदा प्रसंस्करण शुल्क (मूल/हार्ड कॉपी) महत्वपूर्ण डाटा शीट में उल्लिखित दिनांक और समय से पहले प्राप्त नहीं होती है, उनकी निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

10,88,362/- रुपये की बयाना राशि (ईएमडी) भारतीय विमानन अकादमी (नियामार सोसाइटी) के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में राष्ट्रीयकृत या किसी अनुसूचित बैंक (लेकिन सहकारी या ग्रामीण बैंक से नहीं) से ऑफ़लाइन भुगतान की जानी चाहिए। ईएमडी के विरुद्ध डिमांड ड्राफ्ट की मूल/हार्ड कॉपी पोस्ट/कूरियर/दस्ती द्वारा सहायक महाप्रबंधक(प्रचालन), दूसरी मंजिल, कमरा नंबर 228, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 के कार्यालय के पते पर क्रिटिकल डेटशीट में निर्दिष्ट तारीख को या उससे पहले पहुंच जानी चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट/किसी अन्य स्वीकृत दस्तावेज़ का विवरण, भौतिक रूप से भेजा जाना चाहिए, स्कैन की गई प्रति में उपलब्ध विवरण और बोली जमा करने के समय दर्ज किए गए डेटा से मेल खाना चाहिए। जिन निविदाकर्ताओं/बोलीदाताओं की निविदा प्रसंस्करण शुल्क (मूल/हार्ड कॉपी) महत्वपूर्ण डाटा शीट में उल्लिखित तिथि और समय से पहले प्राप्त नहीं होती है, उनकी निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

बैंक डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा की गई ईएमडी, संविदाकार द्वारा बिना किसी शर्त के, निविदा खुलने की अधिसूचित तिथि से छह (6) महीने की अवधि के लिए वैध होगी। यदि बोली वैधता अवधि के भीतर निविदा को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, तो ईएमडी की वैधता को उपयुक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे मामलों में, ईएमडी की निगरानी के लिए जिम्मेदार अधिकारी को बोली वैधता अवधि के विस्तार के साथ-साथ ईएमडी की वैधता के विस्तार के लिए पहल करनी चाहिए।

या

बोली प्रसंस्करण शुल्क (निविदा शुल्क) और ईएमडी आदि के भुगतान से छूट प्राप्त करने के मामले में एमएसई इकाइयों (डीआईसी / एनएसआईसी / केवीआईसी / केवीआईबी / हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय आदि के साथ पंजीकृत) के वैध दस्तावेज़।

भारतीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) इकाइयों को रियायतें: - एमएसई आदेश 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के प्रावधानों के अनुसार, एमएसएमई (सूक्ष्म एवं लघु उद्यम) एमएसएमई/डीआईसी/एनएसआईसी/केवीआईसी/केवीआईबी/हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय आदि के साथ पंजीकृत हैं। केवल निम्नलिखित रियायतें लागू होंगी और उन्हीं विनिर्देशों वाले एमएसई पर विस्तारित की जाएंगी जिनके तहत वे पंजीकृत हैं, जो कार्य के निविदा दायरे के बराबर हैं।

- i. **निविदा दस्तावेज़ शुल्क/ईएमडी शुल्क:** निविदा शुल्क/ईएमडी शुल्क पर छूट और लाभ चाहने वाले एमएसई बोलीदाताओं को लिफाफा-1 (शुल्क) में एमएसई पंजीकरण प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसमें ऐसी वैधता और कवर किए गए कार्य के दायरे आदि का विवरण दिया गया हो, ऐसा न करने पर उनकी बोली एमएसई पर लागू लाभों के लिए अयोग्य मानकर खारिज कर दिए जाने का जोखिम रहता है। एमएसई को मिलने वाले लाभ केवल एमएसई द्वारा उत्पादित और प्रदान की जाने वाली वस्तुओं/सेवाओं के लिए उपलब्ध होंगे, जिसके लिए वे पंजीकृत हैं।
- ii. इस निविदा के लिए एमएसई बोलीदाताओं को निविदा शुल्क/ईएमडी शुल्क में छूट की मांग करते हुए एमएसएमई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उल्लेख हो कि प्रमाण पत्र "खानपान सेवाएं प्रदान करने" या इसी तरह की प्रकृति के कार्य के लिए जारी किया गया है, यदि यह पाया गया कि प्रमाण पत्र इन कार्यों के लिए जारी नहीं किया गया है तो यह माना जाएगा कि बोली निविदा शुल्क के बिना प्रस्तुत की गई है और एजेंसी की बोली को तत्काल खारिज कर दिया जाएगा।

ए) ईएमडी एवं निविदा शुल्क में छूट केवल उन बोलीदाताओं को दी जाएगी जो पात्र पाए जाएंगे (पात्रता उपरोक्त बिंदु 1 और 11 में उल्लिखित है)।

(बी) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमडी) अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन।

- iii. यह स्पष्ट किया गया है कि एमएसएमडी को लाभ निर्माण कार्य तक नहीं बढ़ाया जाएगा क्योंकि इसे सेवा प्रदान करने या माल की आपूर्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि पूंजीगत एमईपी कार्य जैसे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल (ईएंडएम), एचवीएस, बीएचएस, बिजली आपूर्ति प्रणाली, फायर अलार्म और डिटेक्शन और पीए सिस्टम आदि, जिसमें एसआईटीसी शामिल है, भी निर्माण कार्य की श्रेणी में आते हैं और इसलिए एमएसएमडी को इन कार्यों के लिए लाभ नहीं दिया जाएगा। सामग्री/माल की आपूर्ति और जनशक्ति की आपूर्ति जैसी सेवाएं, जहां उपभोज्य सामग्री शामिल है, को सार्वजनिक प्रापण नीति के अनुसार एमएसएमडी को लाभ के लिए माना जा सकता है। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट किया गया है कि एमएसएमडी को लाभ केवल एमएसएमडी द्वारा उत्पादित और प्रदान की गई वस्तुओं/सेवाओं के लिए उपलब्ध होगा, जिसके लिए वे अपने एमएसएमडी/एसआईटीसी प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लिखित अनुसार पंजीकृत हैं।

1.7 बोली प्रसंस्करण शुल्क और ईएमडी जमा न करने पर बोलीदाताओं को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

2-निविदाकर्ता/बोलीदाता द्वारा बोली को GeM पोर्टल पर ऑनलाइन निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा: -

महत्वपूर्ण तिथि पत्र

प्रकाशन तिथि	GeM पोर्टल के अनुसार
बोली दस्तावेज़ डाउनलोड / बिक्री प्रारंभ तिथि (प्रकाशन तिथि के अगले दिन)	GeM पोर्टल के अनुसार
स्पष्टीकरण आरंभ तिथि	GeM पोर्टल के अनुसार
स्पष्टीकरण समाप्ति तिथि	GeM पोर्टल के अनुसार
बोली जमा करने की आरंभ तिथि	GeM पोर्टल के अनुसार
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	GeM पोर्टल के अनुसार
निविदा प्रसंस्करण शुल्क और ईएमडी (निविदा शुल्क और ईएमडी से छूट की मांग करने पर एमएसएमडी प्रमाण पत्र) के विरुद्ध मूल डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) जमा करने की अंतिम तिथि और समय, परिशिष्ट - 2 के अनुसार बिना शर्त स्वीकृति पत्र के साथ	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय तक
बोलीदाताओं (भारतीय विमानन अकादमी) द्वारा साइट विजिट/निरीक्षण की तारीख	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय पर या उससे पहले
संभावित बोली खोलने की तिथि (लिफाफा-I)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद अगला कार्य दिवस
स्पष्टीकरण/कमी दस्तावेज़ प्रस्तुत करना	03 दिन
बोली खोलने की तिथि (लिफाफा-II)	जेम पोर्टल पर अधिसूचित किया जाए
निविदा प्रसंस्करण शुल्क (गैर-वापसी योग्य, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में)(भारतीय विमानन अकादमी) के पक्ष में	रु. 2950/- (जीएसटी सहित) गैर-वापसी योग्य
परिशिष्ट -3 के अनुसार बयाना राशि जमा(भारतीय विमानन अकादमी) के पक्ष में	रु. 10,88,362/-

लिफाफा-I: (तकनीकी बोली)

पात्रता के लिए आवश्यक बोलीदाता योग्यता दस्तावेज (बोली प्रसंस्करण शुल्क, ईएमडी तकनीकी बोली और पूर्व-योग्यता): -

तकनीकी बोली में निम्नलिखित शामिल हैं:-

ए. निविदा शुल्क और ईएमडी :

- i) निविदा/बोली प्रसंस्करण शुल्क रु. 2950/- (गैर-वापसीयोग्य) भारतीय विमानन अकादमी (नियामार सोसाइटी) के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ऑफलाइन जमा किया जाना है।
- ii) 10,88,362/- रुपये की ईएमडी फीस भारतीय विमानन अकादमी (नियामार सोसाइटी) के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ऑफलाइन जमा करनी होगी।

या

बोली प्रसंस्करण शुल्क (निविदा शुल्क) और ईएमडी आदि के भुगतान से छूट प्राप्त करने के मामले में एमएसई के वैध दस्तावेज।

बी. तकनीकी बोली जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- a. विधिवत भरा हुआ लिफाफा-I परफॉर्म (परिशिष्ट -1 के अनुसार)
- b. योग्यता आवश्यकताओं का प्रमाण पत्र (एनआईटी (पृष्ठ संख्या 7/8) देखें - संविदाकार / फर्म की योग्यता आवश्यकताएं)।
- c. फर्म/एजेंसी के पंजीकरण का प्रमाण पत्र।
- d. निविदा प्रसंस्करण शुल्क के निमित्त डीडी की स्कैन की गई प्रति।
- e. ईएमडी के निमित्त डीडी की स्कैन की गई प्रति, अनुबंध - 03 के अनुसार ईएमडी की स्कैन की गई प्रति, और ईएमडी घोषणा (परिशिष्ट - 10 के अनुसार)
- f. भावि निविदा शर्तों की बिना शर्त स्वीकृति की स्कैन की गई प्रति (अनुबंध-2 के अनुसार)
- g. 100/- के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के लिए विधिवत हस्ताक्षरित शपथ पत्र की स्कैन की गई प्रति / कंपनी के लेटर हेड पर न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के संबंध में 'वचन' की स्कैन की गई प्रति (परिशिष्ट -4 के अनुसार)।
- h. स्थायी खाता संख्या (पैन) और जीएसटी पंजीकरण संख्या की स्कैन की गई प्रति और जीएसटी के तहत पंजीकरण के लिए वचन पत्र और जीएसटी प्रावधान का अनुपालन (परिशिष्ट -5 के अनुसार)।
- i. कंपनी के लेटर हेड पर ब्लैकलिस्टिंग/डिबारमेंट के संबंध में 'वचनबद्धता' की स्कैन की गई प्रति (परिशिष्ट -6 के अनुसार)
- j. निविदाकर्ता को कार्य की आवश्यकता के अनुसार प्रभारी अधिकारी (ओआईसी) के परामर्श से पर्याप्त संयंत्र और मशीनरी तैनात करनी चाहिए ताकि समय अवधि के भीतर मील के पत्थर/लक्ष्य और समग्र समापन प्राप्त किया जा सके। निविदाकर्ता को कंपनी के लेटर हेड (परिशिष्ट -8 के अनुसार) पर

‘वचनबद्धता’ की स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

- k. भाविअ/भाविप्रा में काम करने वाले गैर-रिश्तेदार के लिए ‘वचनबद्धता’ , (परिशिष्ट -9 के अनुसार)
- l. वित्तीय जानकारी (टर्नओवर) की स्कैन की गई प्रति - अनुबंध 11 के अनुसार। **वित्तीय वर्ष - 2021-22,2022-23 एवं 2023-24**
- m. नेट वर्थ की स्कैन की गई प्रति-परिशिष्ट 12 के अनुसार **वित्तीय वर्ष - 2021-22,2022-23 एवं 2023-24**
- n. पिछले सात वर्षों के दौरान पूरे किए गए समान कार्यों के विवरण की स्कैन की गई प्रति, ग्राहक द्वारा जारी किए गए पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ समर्थित (परिशिष्ट 13)
- o. ई-भुगतान प्रारूप की स्कैन की गई प्रति (परिशिष्ट -14)
- p. बोलीदाताओं द्वारा साइट निरीक्षण के लिए ‘वचनबद्धता’ की स्कैन की गई प्रति। (परिशिष्ट 15)
- q. होटलों के मामले में निविदा जारी होने की तिथि से पिछले 02 वर्षों से सेवा में होने के अंडरटेकिंग की स्कैन की गई प्रति। हवाई अड्डों पर रेस्तरां/फाइन डाइन रेस्तरां के मामले में निविदा जारी होने की तिथि से पिछले दो वर्षों से परिचालन में होना/ 3 सितारा और उससे ऊपर की रेटिंग वाले होटलों/कन्वेंशन सेंटर्स/(एचआरएसीसी, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित)/भारतीय विमानन अकादमी/भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिकारी संस्थान (एएआईओआई) में निविदा जारी होने की तिथि से कम से कम दो वर्षों से खानपान सेवाएं प्रदान करी हो /प्रदान कर रहा हो (परिशिष्ट -16)।
- r. वैध एफएसएसआई लाइसेंस।
- s. ईएसआईसी और ईपीएफ पंजीकरण की स्कैन की गई प्रति।
- t. हस्ताक्षरित अखंडता समझौता (जीसीसी परिशिष्ट -5)
- u. डिजिटल हस्ताक्षरित निविदा दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
- v. स्वामित्व फर्म के अलावा अन्य बोलीदाताओं को प्राधिकरण पत्र/पावर ऑफ अटॉर्नी की स्कैन की गई प्रति के साथ कंपनी अधिनियम के तहत कंपनी के निगमन के प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी जिसमें कंपनी के सीआईएन/एलएलपीआईएन/निदेशकों का नाम और पावर ऑफ अटॉर्नी सौंपने के अधिकार के संबंध में बोर्ड के प्रस्ताव की प्रति दिखाई गई हो। स्वामित्व फर्म को प्राधिकरण पत्र/पावर ऑफ अटॉर्नी की स्कैन की गई प्रति केवल तभी प्रस्तुत करनी होगी जब निविदा को स्वामी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संसाधित किया जाता है।

निविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकार: निविदाकर्ता का केवल पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकरण धारक जिसके नाम पर निविदा जारी की गई है, निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा। हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत कंपनी के व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम और पदनाम प्राधिकरण पत्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।

सी. संविदाकारों/निविदाकारों की योग्यता संबंधी आवश्यकताएँ जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. संविदाकार/फर्म की योग्यता आवश्यकताएँ .

केवल वे फर्म/एजेंसियां ही विषयगत कार्य की बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अर्हता प्राप्त करेंगी जो:- निविदा जारी होने की तिथि से पिछले दो वर्षों से सेवारत, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, एचआरएसीसी द्वारा अनुमोदित तीन सितारा या उससे अधिक रेटिंग वाले होटल। (नोट: बोलीदाता के 3-सितारा या उससे अधिक रेटिंग वाले होटल के मामले में, तकनीकी मानदंडों को पूरा करने के समर्थन में नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित पर्यटन मंत्रालय से केवल वैध वर्गीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।)

या

भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय नगर निगमों/स्थानीय प्रमाणन प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित न्यूनतम 48 लोगों की बैठक क्षमता वाले हवाई अड्डों पर रेस्तरां या फाइन डाइन रेस्तरां, जो निविदा जारी होने की तिथि से पिछले दो वर्षों से परिचालन में हैं; (बोलीदाताओं के फाइन डाइन रेस्तरां होने की स्थिति में, बोलीदाता भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय नगर निगमों/स्थानीय प्रमाणन प्राधिकरणों द्वारा जारी 48 या उससे अधिक लोगों की बैठक क्षमता का उल्लेख करते हुए कोई भी वैध प्रमाण पत्र/वैध लाइसेंस प्रस्तुत कर सकते हैं।

या

तीन सितारा या उच्चतर रेटिंग वाले होटलों/कन्वेंशन सेंटरों/(एचआरएसीसी, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित)/भारतीय विमानन अकादमी/भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिकारी संस्थान (एएआईओआई) में कम से कम दो वर्षों से खानपान सेवाएं प्रदान की जा रही हैं/की गई हैं और निविदाएं आमंत्रित किए जाने वाले महीने से पहले वाले महीने के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले पिछले सात वर्षों के दौरान समान प्रकृति के एकल संविदा में तीन कार्य, प्रत्येक रु. 1,08,83,619/- या दो कार्य, प्रत्येक रु. 1,36,04,523/- या एक कार्य रु. 2,17,67,237/- का संतोषजनक रूप से पूरा किया हो या पर्याप्त रूप से पूरा किया हो।

2. फर्म जो तीन सितारा या उच्चतर रेटेड होटल / कन्वेंशन सेंटर / (एचआरएसीसी, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित) / भारतीय विमानन अकादमी / भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिकारी संस्थान (एएआईओआई) में कम से कम दो वर्षों के लिए खानपान सेवाएं प्रदान कर रही है / किया है और पिछले सात वर्षों के दौरान समान प्रकृति के कार्य के एकल संविदा में तीन कार्य, प्रत्येक 1,08,83,619 /- रुपये या दो कार्य, प्रत्येक 1,36,04,523 /- रुपये या 2,17,67,237 /- रुपये का एक कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा किया हो। (प्रगति में कार्य पर विचार किया जा सकता है यदि पिछले बारह महीनों में प्राप्त भुगतान व्यक्तिगत मामले में उपरोक्त राशि से अधिक है। जिस फर्म में खानपान सेवाएं प्रदान की गई थी/की जा रही हैं/की जा रही हैं, उसके लेटर हेड पर विधिवत् हस्ताक्षरित एवं सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो ऊपर उल्लिखित कार्य मूल्य को पूरा करता हो।

पिछले सात वर्षों के दौरान पूर्ण किए गए समान कार्यों का विवरण ग्राहक द्वारा जारी किए गए सहायक दस्तावेजों के साथ परिशिष्ट 13 में दिया गया है।

समान कार्यों का अर्थ है - तीन सितारा या उच्च रेटिंग वाले होटलों/कन्वेंशन सेंटर/हवाई अड्डे/भारतीय विमानन अकादमी/भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिकारी संस्थान (एएआईओआई) में खानपान सेवाएं प्रदान करना।

नोट:- जीएसटी-पूर्व काल में पूर्ण किए गए कार्यों के अनुभव प्रमाण-पत्र के लिए, पूर्णता राशि को 1.12 से विभाजित किया जाएगा (जीएसटी-पूर्व कर 12% को छोड़कर) जिससे यह जीएसटी-पश्चात काल के अनुभव प्रमाण-पत्र के बराबर हो जाएगा, लेकिन इसमें जीएसटी नहीं होगा।

"निष्पादित कार्यों का मूल्य, कार्य के वास्तविक मूल्य में 7% प्रति वर्ष की साधारण दर से वृद्धि करके वर्तमान लागत स्तर पर लाया जाएगा, जिसकी गणना कार्य पूरा होने की तिथि से बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक की जाएगी।"

कार्य के दायरे में मुख्य रूप से खानपान सेवाएँ प्रदान करने का कार्य शामिल है। भाग लेने वाले बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र में निष्पादित इस प्रकार के कार्य का विवरण शामिल होगा।

अनुभव के लिए क्लाइंट सर्टिफिकेट में किए गए कार्य की प्रकृति, कार्य का मूल्य, कार्य शुरू होने की तिथि, अनुबंध के अनुसार कार्य पूरा होने की तिथि, कार्य पूरा होने की वास्तविक तिथि और कार्य के संतोषजनक पूरा होना दर्शाया जाना चाहिए। गैर-सरकारी/गैर-पीएसयू संगठनों से कार्य अनुभव प्रमाणपत्र दिखाने वाले निविदाकर्ताओं को पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के साथ स्रोतों पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसमें कार्य का नाम, कार्य के लिए प्राप्त कुल भुगतान और कार्य के लिए टीडीएस राशि स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हो।

3. पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान निष्पादित कार्यों के लिए 81,62,714/- रुपये का वार्षिक औसत वित्तीय कारोबार होना चाहिए। वित्तीय जानकारी दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए - परिशिष्ट 11. बैलेंस शीट में पिछले तीन वर्षों के दौरान लगातार घाटा दिखाने वाले निविदाकारों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
4. निविदाकर्ता के पास प्रमाणित चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी न्यूनतम 40,81,357/- रुपये की निवल संपत्ति होनी चाहिए। प्रमाण पत्र दिए गए प्रारूप में होना चाहिए - परिशिष्ट 12
5. **निविदाकर्ताओं को एनआईटी शर्तों के अनुसार विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीआईएन) से उत्पन्न दस्तावेज जैसे वित्तीय जानकारी (हानि/लाभ के साथ कारोबार), नेट वर्थ सर्टिफिकेट आदि प्रस्तुत करने होंगे, जो सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित हों और यूडीआईएन युक्त हों। बोलीदाताओं द्वारा यूडीआईएन के बिना प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।**

उपरोक्त लिफाफा-1 के सभी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतिलिपि GeM पोर्टल पर प्रस्तुत की जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज़ (मूल हार्ड कॉपी)	पता	क्रिटिकल डेट शीट के अनुसार मूल हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि
i) निविदा प्रसंस्करण शुल्क के निमित्त मूल डिमांड ड्राफ्ट (ii) ईएमडी के निमित्त मूल डिमांड ड्राफ्ट। (यदि निविदा शुल्क और ईएमडी से छूट चाह रहे हैं तो एमएसएमई प्रमाण पत्र) iii) परिशिष्ट -2 के अनुसार बिना शर्त स्वीकृति पत्र	सहायक महाप्रबंधक(प्रचालन), द्वितीय तल, कमरा नं. 228, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 (बोली प्रबंधक)	क्रिटिकल डेट शीट में उल्लिखित तिथियों के अनुसार

जिन निविदाकर्ताओं को निविदा प्रसंस्करण शुल्क, ईएमडी और विधिवत हस्ताक्षरित बिना शर्त पत्र के विरुद्ध मूल डीडी महत्वपूर्ण डेटा शीट में उल्लिखित तिथि और समय तक प्राप्त नहीं होता है, तो उनकी निविदाएं अस्वीकार कर दी जाएंगी। किसी भी डाक देरी पर विचार नहीं किया जाएगा।

लिफाफा-II: - जेम पोर्टल के माध्यम से वित्तीय ई-बोली।

- a. सभी दरें दिए गए प्रारूप में उद्धृत की जाएंगी और कोई अन्य प्रारूप स्वीकार्य नहीं है। यदि मूल्य बोली निविदा दस्तावेज़ के साथ एक मानक BOQ प्रारूप के रूप में दी गई है, तो उसे डाउनलोड करना होगा और सभी निविदाकारों को भरना होगा। दरें केवल लिफाफा-II की मूल्य बोली में BOQ.xls फ़ाइल में उद्धृत की जानी चाहिए। एजेंसी को दरें उद्धृत करने के बाद BOQ.xls फ़ाइल डाउनलोड करनी चाहिए और उसे अपलोड करना चाहिए।
- b. उन बोलीदाताओं की मूल्य बोलियां खोली जाएंगी जो लिफाफा-I के तहत अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उल्लिखित महत्वपूर्ण तिथियों के अनुसार तिथि और समय पर, यदि कोई हो तो तिथियों में परिवर्तन ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
- c. ***यदि यह पाया जाता है कि निविदाकर्ता ने बीओक्यू फाइल में संशोधन किया है तो बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।***
- d. कार्य के लिए निविदा मूल्य बोली (अर्थात लिफाफा-II) के खुलने की तिथि से नब्बे दिन (90) दिनों की अवधि के लिए स्वीकृति के लिए खुली रहेगी। यदि कोई निविदाकर्ता उक्त अवधि से पहले अपनी निविदा वापस ले लेता है या निविदा की शर्तों और नियमों में कोई संशोधन करता है जो विभाग को स्वीकार्य नहीं है, तो भारतीय विमानन अकादमी, किसी भी अन्य अधिकार या उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, बयाना राशि का 10% जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

नोट: जिन बोलीदाताओं ने लिफाफा-I (बोलीदाता की योग्यता आवश्यकता) को मंजूरी दे दी है, उनके लिफाफा-II के खुलने की तारीख को GEM ई-टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

3. बयाना राशि जमा (ईएमडी) और ईएमडी की वापसी:

- i) निविदा स्वीकार होने पर, बयाना राशि को सुरक्षा जमा के भाग के रूप में माना जाएगा। सफल बोलीदाता की ईएमडी राशि ईएमडी राशि/प्रदर्शन बैंक गारंटी के बराबर सुरक्षा जमा प्राप्त होने पर वापस कर दी जाएगी।
- ii) न्यूनतम बोली लगाने वाले को छोड़कर सभी बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई ईएमडी वित्तीय बोली खुलने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर वापस कर दी जाएगी।
- iii) ईएमडी पर कोई भी ब्याज या अन्य व्यय भाविअ द्वारा देय नहीं होगा।
- iv) निम्नलिखित मामले में निविदा ईएमडी जब्त की जा सकती है तथा बोलीदाता को बोली से वंचित किया जा सकता है:
 - (a) यदि कोई निविदाकर्ता निविदा शर्तों में निर्दिष्ट निविदा वैधता की अवधि के दौरान अपनी निविदा वापस ले लेता है।
 - (b) एक सफल निविदाकार के मामले में, यदि निविदाकार विफल रहता है -
 - अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए.
 - निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किसी भी गलत जानकारी/दस्तावेज़ के मामले में।

4. बोली प्रस्तुत करना:

- a. निविदाकर्ता द्वारा ई-निविदा प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह है कि उसने इस नोटिस और अन्य सभी संविदा दस्तावेजों को पढ़ लिया है तथा किए जाने वाले कार्यों के दायरे और विशिष्टताओं से अवगत हो गया है तथा भारतीय विमानन अकादमी द्वारा उसे जिन शर्तों और दरों पर सामान, उपकरण और संयंत्र आदि जारी किए जाएंगे, स्थानीय परिस्थितियों, स्थानीय सामग्री दरों और कार्यों के निष्पादन पर असर डालने वाले अन्य कारकों से भी अवगत हो गया है।
- b. निविदाकर्ता को अपना आवेदन केवल GeM पोर्टल: <https://gem.gov.in> पर ही जमा करना होगा। निविदाकर्ता/संविदाकार को बोलियों को ऑनलाइन जमा करने के लिए निविदा दस्तावेज में दिए गए निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। निविदाकर्ताओं को स्कैन किए गए दस्तावेजों की डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित फ़ाइल अपलोड करनी होगी। बोली दस्तावेजों को 100 डीपीआई के साथ काले और सफ़ेद विकल्प के साथ स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेजों के आकार को कम करने में मदद करता है। ऊपर निर्दिष्ट स्थान के अलावा अन्य स्थान पर आवेदन अपलोड करने पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन की हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी।
- c. व्यावसायिक संबंध रखने वाले एक निविदाकर्ता या निविदाकर्ताओं द्वारा एक से अधिक निविदा प्रस्तुत नहीं की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में पिता और उसके बेटे या अन्य करीबी रिश्तेदार जिनका एक दूसरे के साथ व्यावसायिक संबंध है (अर्थात् जब एक या अधिक भागीदार/निदेशक समान हों) को अलग-अलग प्रतिस्पर्धियों के रूप में एक ही संविदा के लिए निविदा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस शर्त का उल्लंघन करने पर दोनों पक्षों की निविदाएं अस्वीकार कर दी जाएंगी।
- d. निविदाकर्ता जिसने GeM पोर्टल की वेबसाइट <https://gem.gov.in> से निविदा डाउनलोड की है, वह डाउनलोड किए गए मूल्य बोली टेम्पलेट सहित निविदा फॉर्म में किसी भी तरह से छेड़छाड़/संशोधन नहीं करेगा। यदि किसी भी तरह से छेड़छाड़/संशोधन पाया जाता है, तो निविदा पूरी तरह से खारिज कर दी जाएगी और निविदाकर्ता को भाविअ के साथ व्यापार करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

5. बोली खोलने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

(i) लिफाफा-1 (तकनीकी बोली और पूर्व योग्यता):-

लिफाफा-1 जिसमें दस्तावेज (निविदाकर्ताओं द्वारा अपलोड किए गए) होंगे, क्रिटिकल डेट शीट में उल्लिखित दिनांक और समय पर खोला जाएगा।

डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों को ऊपर निर्दिष्ट स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर अपलोड करने पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन की हार्ड कॉपी पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि बोलीदाता के पास कार्य के बोली दस्तावेज से संबंधित कोई प्रश्न है, तो उन्हें स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए GEM पोर्टल पर रैप्रजेंटेशन का उपयोग करना चाहिए। इस संबंध में संचार के किसी अन्य माध्यम पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि निविदाकर्ता को लिफाफा-1 में अपलोड किए गए दस्तावेजों में कमी के बारे में कोई स्पष्टीकरण चाहिए, तो उसे GEM पोर्टल कमी दस्तावेजों के माध्यम से इसे प्रदान करने के लिए कहा जाएगा। निविदाकर्ता को भाविअ द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर अपेक्षित स्पष्टीकरण/दस्तावेज अपलोड करने होंगे, ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि बोलीदाता के पास प्रस्तुत करने के लिए कुछ नहीं है और बोली का मूल्यांकन तदनुसार किया जाएगा। निविदाकर्ताओं को उनकी बोलियों की स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना GeM पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी।

(ii) **लिफाफा-II (वित्तीय/मूल्य बोली):**

लिफाफा-I की अर्हता प्राप्त करने वाले निविदाकर्ताओं की वित्तीय बोली युक्त लिफाफा-II को क्रिटिकल डाटा शीट में उल्लिखित दिनांक और समय पर खोला जाएगा। (यदि लिफाफा-II (वित्तीय बोली) खोलने की तिथि और समय में परिवर्तन करना आवश्यक हो, तो इसकी सूचना GEM पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी)।

6. निविदा की अस्वीकृति:

- a. भाविअ बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। भाविअ बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
- b. भाविअ अपने विवेक के आधार पर इस निविदा के तहत कोई भी कार्य न देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। भाविअ किसी भी अपेक्षित निविदा या तकनीकी प्रस्ताव की तैयारी और प्रस्तुतिकरण या यहां वर्णित किसी भी मद के लिए अनुबंध प्राप्त करने में निविदाकर्ताओं द्वारा उठाए गए किसी भी लागत या नुकसान का भुगतान नहीं करेगा।
- c. यदि निविदाकर्ता जानबूझकर गलत जानकारी देता है या अपनी निविदा में किसी भी जानकारी को छुपाता है, तो भाविअ किसी भी अन्य उचित/कानूनी कार्रवाई के अलावा, किसी भी स्तर पर ऐसी निविदा को अस्वीकार करने या संविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- d. निविदाओं के संबंध में किसी भी रूप में प्रचार करना सख्त वर्जित है और प्रचार करने वाली कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की गई निविदाएं अस्वीकार कर दी जाएंगी।
- e. निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में किसी भी विचलन को गैर-प्रतिक्रियाशील बोली माना जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- f. एक निविदाकर्ता को एक प्रतिक्रियाशील बोली प्रस्तुत करनी होगी, ऐसा न करने पर उसकी निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।
- g. ऐसी निविदा जिसमें कोई भी विवरण और निर्धारित सूचना न हो या अधूरी हो, और/या निर्धारित शर्तें पूरी न की गई हों, उसे गैर-प्रतिक्रियाशील माना जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- h. निविदाकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा दस्तावेज की जांच करेगा, जिसमें सभी निर्देश, प्रपत्र, शर्तें, विनिर्देश, चित्र आदि शामिल होंगे। निविदा दस्तावेजों के अनुसार आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करने में विफलता या किसी भी संबंध में निविदा दस्तावेज के प्रति पर्याप्त रूप से उत्तरदायी नहीं होने वाली निविदा प्रस्तुत करने पर निविदा को अस्वीकार कर दिया जा सकता है।
- i. एक निविदाकर्ता को ऐसी निविदा प्रस्तुत करनी होगी जो इस नोटिस में निर्धारित प्रत्येक शर्त को पूरा करती हो, अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।
- j. अपूर्ण एवं अस्पष्ट कोटेशन अस्वीकार कर दिये जायेंगे।
- k. कार्य के लिए निविदा की गवाही ऐसे संविदाकार या संविदाकारों द्वारा नहीं दी जाएगी, जिन्होंने स्वयं निविदा दी है या जिन्होंने उसी कार्य के लिए निविदा दी हो। इस शर्त का पालन न करने पर निविदा देने वाले और निविदा गवाही देने वाले संविदाकार की निविदा को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

7. भाविअ उन कार्य एजेंसियों को काम करने से मना करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिनका चालू परियोजनाओं में प्रदर्शन औसत से कम और आमतौर पर खराब है और जिन्हें भाविअ के किसी भी विभाग द्वारा प्रतिबंध/अस्थायी या स्थायी निषेध/काली सूची में डालने का पत्र जारी किया गया है। भाविअ किसी भी स्तर पर (कार्य दिए जाने से पहले या बाद में) निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्र को सत्यापित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि किसी भी स्तर पर, आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी/दस्तावेज़ गलत/झूठा पाया जाता है या कुछ विसंगति है जो निविदाकर्ता को अयोग्य घोषित करती है तो भाविअ निम्नलिखित कार्रवाई करेगा:

A) निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई ईएमडी की पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी।

(बी) निविदाकर्ता भाविअ में निविदा डालने से दो साल तक की अवधि के लिए प्रतिबन्ध के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें किसी अन्य उचित संविदात्मक/कानूनी कार्रवाई के अलावा संविदा की समाप्ति भी शामिल है।

8. संयुक्त उद्यम/संघ को अनुमति नहीं दी जाएगी।

9. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे साइट और उसके आस-पास के क्षेत्र का निरीक्षण और जांच करें तथा निविदाएं प्रस्तुत करने से पहले स्वयं को संतुष्ट कर लें कि किए जाने वाले कार्य की प्रकृति क्या है, साइट की प्रकृति क्या है, साइट तक पहुंचने के साधन क्या हैं, उन्हें किस प्रकार की सुविधा की आवश्यकता है, उपलब्ध रसोई उपकरण और अन्य सामान, सामग्री रखने के लिए स्थान सहित कार्य करने की स्थिति, कार्यों में शामिल की जाने वाली विभिन्न सामग्रियों की दरें क्या हैं। (इस संबंध में वचनबद्धता परिशिष्ट 1 के अनुसार GEM पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए)।

10. निविदाकर्ता को स्वयं सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी होगी जैसे करों और शुल्कों की प्रयोज्यता, आवास और श्रमिकों की आवाजाही आदि को प्रभावित करने वाली स्थितियाँ और जोखिमों, आकस्मिकताओं और अन्य परिस्थितियों से संबंधित अन्य जानकारी जो उनकी निविदा को प्रभावित या प्रभावित कर सकती हैं। निविदाकर्ता को साइट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, चाहे वह इसका निरीक्षण करे या नहीं और किसी गलतफहमी या अन्यथा के परिणामस्वरूप कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

11. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को क्रय वरीयता स्वीकृति की तिथि को लागू भारत सरकार के निर्देशानुसार लागू होगी।

12. यदि एल-1 एजेंसी (जीईएम पोर्टल द्वारा निर्धारित न्यूनतम बोली लगाने वाली फर्म) किसी भी कारण से निर्धारित समय के भीतर सभी नियमों और शर्तों के साथ कार्य आदेश को स्वीकार करने / नियमों और शर्तों को संशोधित करने के अनुरोध में विफल रहती है, तो फर्म को भारतीय विमानन अकादमी से संबंधित एनआईक्यू / निविदा में बोली लगाने से रोक दिया जाएगा और काली सूची में डाल दिया जाएगा।

13. सफल बोलीदाता को संविदा दिए जाने की सूचना स्वीकृति प्राधिकारी या उसके प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में दी जाएगी। संविदा सामान्यतः योग्य और उत्तरदायी बोलीदाता को दिया जाएगा जो विनिर्देशों और संविदा दस्तावेजों की आवश्यकताओं के अनुरूप न्यूनतम मूल्यांकित बोली (जैसा कि GeM द्वारा तय किया गया है) की पेशकश करेगा और इस संबंध में स्वीकृति प्राधिकारी ही एकमात्र निर्णायक होगा।

14. निविदा स्वीकृत होने पर, संविदाकार के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि(यों) का नाम, जो प्रभारी अधिकारी से निर्देश लेने के लिए जिम्मेदार होगा, निविदा स्वीकृत होने के 30 दिनों के भीतर प्रभारी अधिकारी को सूचित किया जाएगा।

15. यह निविदा सूचना संविदा दस्तावेजों का हिस्सा होगी। सफल निविदाकर्ता/संविदाकार, स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा उसकी निविदा स्वीकार किए जाने पर, कार्य सौंपे जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर, संविदा पर हस्ताक्षर करेगा

जिसमें निविदा आमंत्रण सूचना, संविदा की सामान्य शर्तें, विशेष/अतिरिक्त शर्तें, सामान्य और विशेष विनिर्देश, निविदा आमंत्रण और स्वीकृति के समय जारी की गई निविदा शर्तें और उससे संबंधित कोई भी पत्राचार शामिल होगा।

16. इस निविदा को स्वीकार करने के पश्चात सफल निविदाकर्ता को संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर परिशिष्ट -4 में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार न्यूनतम मजदूरी के लिए एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह अनुबंध का हिस्सा बन जाएगा।
17. तकनीकी बोलियों, मूल्य बोलियों और अनुबंध प्रदान करने के मामले में भाविअ एकमात्र निर्णायक होगा और भाविअ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। स्वीकार करने वाला प्राधिकारी सबसे कम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए खुद को बाध्य नहीं करता है और निविदा के पूरे या किसी भी हिस्से को स्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है और निविदाकर्ता को अपने उद्धृत दरों पर इसे निष्पादित करने के लिए बाध्य किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
18. किसी भी विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण को ही सही माना जाएगा।

सहायक महाप्रबंधक(प्रचालन)

भारतीय विमानन अकादमी

वसंत कुंज नई दिल्ली

निदेशक, भाविअ के लिए एवं उनकी ओर से